न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जयसिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **10/2023**

राजेश कुमार पुत्र श्री दाताराम जाति गूर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

..................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

..................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत वाहन सुपुर्दगी
अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री महीपाल सिंह दौराता — अभिभाषक — प्रार्थी
2. श्री उदयभान सिंह, अपर लोक अभियोजक — अभिभाषक — अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक :– 26.10.2023**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2023 को प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी– सुपुर्दगार का पुलिस थाना मेहाड़ा ने एक वाहन बोलेरो पिकअप नम्बर RJ 53 GA 0164 को जप्त किया है। प्रार्थी वाहन का पंजीकृत स्वामी है।
2. यह कि प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना में खड़ा खड़ा खराब हो रहा है एवं पुलिस थाना को वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. यह कि प्रार्थी को वाहन की सख्त आवश्यकता है जिसको प्रार्थी सुपुदर्गी पर लेना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को प्रकरण में जप्त शुदा वाहन बोलेरो पिकअप नम्बर RJ 53 GA 0164 को सुपर्दगी पर दिये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा से प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट क्रमांक 7139 दिनांक 19.10.2023 के अनुसार श्रीमान् सी.ओ.साहब खेतड़ी मय जाप्ता के चैक पोस्ट शिमला पर नाकाबंदी की गई। समय करीब 5.15 पीएम पर गोद बलाह की तरफ से एक पिकअप टैंकर नम्बर RJ 53 GA 0164 आई। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पिकअप चालक को ईशारा देकर पिकअप को रूकवाया। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अपना नाम व पद का परिचय देकर चालक से नाम पता पूछा तो पिक[illegible] कुमार पुत्र पूरणमल जाति माली उम्र 35 साल निवासी मोडी पुलिस थाना [illegible]ला नीमकाथाना होना बताया। पिकअप चालक से पिकअप टैंकर [illegible] हुआ होना बताया तथा हरियाणा राज्य में गणपति स[illegible] राजस्थान में बिक्री हेतु लाया बताया। पिकअप टैंकर को चैक किया गया तो पिकअप टैंकर मे डीजल भ[illegible] हुआ है। जिसको जप्त कर थाना हाजा पर प्रकरण संख्या [illegible]5/2023 धारा 3/7 [illegible] में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में मुल्जिम संदीप कुमार पुत्र पूरणमल जाति माली

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उम्र 35 साल निवासी मोड़ी पुलिस थाना मेहाड़ा जिला नीमकाथाना के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 ई.सी. एक्ट का अपराध बखुबी साबित पाया गया है जिस पर मुल्जिम को पेश न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय झुंझुनूं के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण हाजा में जप्त शुदा वाहन नम्बर RJ 53 GA 0164 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पिकअप गाड़ी RJ 53 GA 0164 प्रार्थी की फर्म श्री बालाजी ग्रिट उधोग ग्राम गोरीर के नाम से रजिस्टर्ड है जिसका प्रोपराईटर प्रार्थी है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त है। उक्त वाहन की पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन से अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसके लिए प्रार्थी अपने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में धूप बरसात में खड़े रहने से उसके रंग रोगन उड़ने एवं खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसकी पिकअप गाडी नम्बर RJ 53 GA 0164 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सरकार पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की रिपोर्ट क्रमांक 7139 दिनांक 19.10.2023 के अनुसार वाहन पिकअप गाड़ी नम्बर RJ 53 GA 0164 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता सरकार पक्ष ने बहस के अन्त में कथन किया कि जब वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अनुसार वाहन पिकअप गाडी नम्बर RJ 53 GA 0164 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0195/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जप्त शुदा पिकअप गाडी नम्बर RJ 53 GA 0164 को उसके रजिस्टर्ड मालिक प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0195/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त शुदा पिकअप गाड़ी नम्बर RJ 53 GA 0164 को उसके रजिस्टर्ड मालिक/प्रोपराईटर प्रार्थी को 4,75,000/– (अंकेही चार लाख पिचेतर हजार रूपये) का जमानतनामा एवं इतनी ही राशि का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत क[illegible] का आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति सहित थाना[illegible]लिस थाना मेहाड़ा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10[illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:19 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी